Solar energy enterprise zone

3971. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a "Solar energy enterprse zone" is being set up near the Capital to facilitate joint ventures;

(b) if so, the broad features thereof;

(c) the capital outlay involved therein; and

(d) the what manner it is proposed to make use of this venture for domestic, commercial and industrial applications?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) to (d) The Ministry of Non-Conventional Energy Sources have established a Solar Energy Centre at Gwal Pahari in the Gurgaon District of Haryana. The Centre carries out testing of solar thermal and photovolatic products and provides technical information training and calebration services. The services of the Centre are used by industry and R& D organisations. There is a proposal to establish a Solar Energy Enterprise zone so that manufacturers can utilise the test facilities and technical advice available from the Centre. The type of manufacturing and other units that will be established, the expenditure involved, etc. can be decided only after a feasibility report is available.

अखिल भारतीय सेवा के पदों को सृजित करना तथा वापस करना

3972. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** क्या : **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1991-92 से लेकर वर्ष 1993-94 तक अखिल भारतीय सेवाओं के कितने पद सृजित किये गये हैं तथा इन श्रेणियों के कितने पद वापस/समाप्त किये गये हैं;

(ख) 31 जुलाई, 1994 को उपरोक्त सवर्ग के कितने पद रिक्त पड़े थे ; और

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा क्रमश: सृजित नये पद तथा वापस किये गये पदों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) और (ग) अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी राज्य संवर्ग की प्राधिकृत पद संख्या संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करके निर्धारित की जाती है । 10 मार्च, 1995 से भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा संवर्ग की पद संख्या तथा संरचना की पुनरीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा संवर्ग नियमावली तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा संवर्ग पद संख्या निर्धारण विनियमों के अनुसार सामान्यत: प्रति पांच वर्ष के अंतराल पर करने का प्रावधान है । संवर्ग पुनरीक्षा अंतरालों के दौरान राज्य सरकारों को राज्य के भीतर अस्थायी तथा संवर्ग बाह्य पद सृजित करने की शक्ति प्राप्त होती है । राज्य सरकारों द्वारा ऐसा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमों के उपबंधों के अनुसार तथा संवर्ग अनुसूची में निर्धारित सीमाओं के अध्यधीन किया जाता है । तथापि, तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में प्रत्येक संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या में कमी अथवा वृद्धि जैसी भी स्थिति हो, 1-1-92, 1-1-93 तथा 1-1-94 के अनुसार परिशिष्ट 3 में दी गई है । (देखिए परिशिष्ट 173 अनुबंध सं० 81) ।

पदों में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा संवर्ग पदों की 40 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के तहत किया जाता है । इस रिजर्व का उपयोग सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव तथा अवर सचिव के स्तर के सचिवालीय तथा अन्य पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति का, तथा गैर-सचिवालीय पदों पर, जहां अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव किया जाता है, चयन के लिये किया जाता है, गैर-सचिवालयी पदों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के पद भी शामिल हैं, सिवाय, उन पदों के जो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा भरे जाते हैं ।

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं में सीधी भर्ती के पद तथा पदोन्नति के पद शामिल होते हैं । सीधी भर्ती के पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक राज्य द्वारा रखी गई मांग के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिये सिविल सेवा परीक्षा तथा भारतीय वन सेवा के लिये भारतीय वन सेवा परीक्षा द्वारा भरी जाती है । पदोन्नति, पद पदोन्नति कोटे में जब और जैसे रिक्ति होने पर राज्य सेवाओं के पात्र उम्मीदवारों में से पदोन्नति विनियम के अनुसार भरे जाते हैं । यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, आकस्मिकताओं आदि के कारण होने वाली लघु अवधि की रिक्तियों की संभावना होती है ।

Review of the appointment procedure of the Members of CAT

3973. SHRI O. P. KOHLI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that views have been expressed by higher judicial functionaries to review the appointment procedure of the members of the Central Administrative Tribunal;

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government thereon;

(c) the number of cases pending in each of the bench of CAT as on 1-3-95;

(d) by when these cases will be disposed of and the reasons for the slow and tardy progress in the disposal rate of the cases; and

(e) the date of the longest pending case, tribunal branch-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) and (b) No such view of the higher judicial functionaries has come to the notice of the Government.

(c) A statement is placed on the Table of the House as per Statement-I (See below).

(d) Cases are decided by CAT in its julicial capacity. Hence it would not be possible to indicate a definite date by which these cases would be disposed of. The disposal rate has not been slow, as 26409 cases were disposed of during 1994 as compared to 17552 cases in 1991. The higher rate of pendency is due to the higher rate of institution of cases. During 1991 the number of cases field was 21623 while during 1994 it has gone upto 26230.

(e) A statement is placed on the Table of the House as per statemnt-II.